



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 4 नवम्बर, 2020

कार्तिक 13, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग-7

संख्या 857/29-7-2020-मू0नि0 03-2014

लखनऊ, 4 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-300

भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना संख्या का0आ0 3776(अ), दिनांक 23 अक्टूबर, 2020, जनसामान्य को सूचनार्थ उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड-(ख) में पुनः प्रकाशित की जाती है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग), आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2020

का0आ0 3776(अ)-केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना -

1-इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 है।

2-यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2-विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 में खण्ड 3 के उप खण्ड (2) में, मद संख्या (III) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

“(iv) प्याज के मामले में, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में व्यापारियों पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की अवधि तक निम्नलिखित स्टॉक सीमा :

थोक विक्रेता :- 25 मीट्रिक टन एवं खुदरा विक्रेता :- 2 मीट्रिक टन

बशर्ते कि आयातक, जो थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता अथवा डीलर है, को प्याज के आयातित स्टॉक के सम्बन्ध में छूट प्राप्त होगी।”

(फा0 सं0 एस 10/3/2017-ईसीआर एण्ड ई)

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव।

नोट :- मूल आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में दिनांक 29 सितम्बर, 2016 के सा0का0नि0 संख्या 929 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 के का0 आ0 संख्या 3341(अ), दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के का0 आ0 संख्या 1288(अ), दिनांक 17 मई, 2017 के का0 आ0 संख्या 1600(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2017 के का0 आ0 संख्या 2785(अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2017 के का0 आ0 संख्या 3136(अ), दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 के का0 आ0 संख्या 3397(अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के का0 आ0 संख्या 3422(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का0 आ0 संख्या 4079(अ), दिनांक 13 जून, 2018 के का0 आ0 संख्या 2414(अ), दिनांक 06 अगस्त, 2019 के का0 आ0 संख्या 2826(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2019 के का0 आ0 संख्या 3540(अ), दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के का0 आ0 संख्या 4298(अ), दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 के का0 आ0 संख्या 4341(अ), दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के का0 आ0 संख्या 4417(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के का0 आ0 संख्या 4471(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2020 का0 आ0 संख्या 901(अ), द्वारा संशोधित किया गया।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम से

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 857/XXIX-7-2020-Mu.Ni. 03-2014, dated November 4, 2020:

No. 857/XXIX-7-2020-Mu.Ni. 03-2014

Dated Lucknow, November 4, 2020

THE following notification no. S.O. 3776(E) dated October 23, 2020 issued by the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, New Delhi as published in the *Gazette* of India Extraordinary is republished in the Uttar Pradesh Extraordinary *Gazette* Part-4, Section(B) for the information of the general public.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 2020

S.O. 3776(E) – In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the

Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified foodstuffs Order, 2016, namely :-

1-Short title and commencement –

1-This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2020.

2-It shall come into force with immediate effect.

2-In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), after the item (iii), the following item shall be *inserted*, namely :-

"(iv) Onion, for a period up to the 31st December, 2020 with following stock limits on traders for all the States and Union Territories;

Wholesaler : 25 MT and Retailer : 2 MT

Provided that an importer, being a wholesaler or retailer or dealer shall be exempted for the imported stock of onions."

[F. No. S 10/3/2017/ECR & E]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secretary.

Note :- The principal order was published in the *Gazette* of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929 (E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O. 2785(E), dated the 25th August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27th September, 2017, S.O. 3397(E), dated the 23rd October, 2017, S.O. 3422(E), dated the 25th October, 2017, S.O. 4079(E), dated the 27th December, 2017, S.O. 2414(E), dated the 13th June, 2018, S.O. 2826(E), dated the 6th August, 2019, S.O. 3540(E), dated the 29th September, 2019, S.O. 4298(E), dated the 28th November, 2019, S.O. 4341(E), dated the 3rd December, 2019, S.O. 4417(E), dated the 10th December, 2019, S.O. 4471(E), dated the 16th December, 2019 and S.O. 901(E), dated the 27th February, 2020.

By order and in the name of the
Governor of Uttar Pradesh.

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 367 राजपत्र-2020-(847)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० खाद्य एवं रसद-2020-(848)-250 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।